राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1631 दिनांक : 19.12.2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1 उमाराम पुत्र सायबाराम वगैरा 5
जाति जाट, निवासी पाबूसरा,
कोलू, तहसील बायतु(बाड़मेर)

1 गेनाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 22
जाति जाट, निवासी पाबूसरा
कोलू, तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 364 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – पाबूसरा पटवार मण्डल – कोलू, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 24, 302 / 8, 304 / 8 रकबा क्रमशः 1.6261, 3.7457, 0.3479 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

19/12/2022

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1632–1636 दिनांक : 19.12.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
1. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
2. प्रार्थी श्री उमाराम पुत्र सायबाराम वगैरा 5
3. विप्रार्थी श्री गेनाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 22
4. पुलिस थानाधिकारी बायतु

19/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.30 11:57:30 IST
Reason: SelfAttested